

चिकित्सा एव स्वास्थ्य (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 5(3)एम.ई./ग्रुप-1/2000 पार्ट

जयपुर, दिनांक

22 AUG 2005

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि राज्य में राजकीय दन्त कालेज, जयपुर एवं निजी क्षेत्र में संचालित डेन्टल कालेजों में स्नातकोत्तर (एमडीएस) पाठ्यक्रम नहीं होने के कारण राज्य की जनता को दन्त विषय विशेषज्ञों की विशिष्ट सेवायें उपलब्ध नहीं हो पा रही है तथा विशेषज्ञों की कमी के कारण राज्य के रोगियों को अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। साथ ही राज्य के डेन्टल कालेजों से बी.डी.एस. का पाठ्यक्रम पूर्ण कर विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एमडीएस) के अध्यापन हेतु अन्य राज्यों में जाना पड़ रहा है। राजस्थान राज्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा जनता की आशाओं/अपेक्षाओं के अनुरूप विषय विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध करवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः विषय विशेषज्ञों की कमी तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अनुसंधान एवं उपचार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह प्रमाणित किया जाता है कि दर्शन डेन्टल कालेज, उदयपुर में निम्नांकित 9 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एमडीएस) शुरू किये जाने की महती आवश्यकता है:-

क्र.सं.	विषय	सीटों की संख्या
1-	Prosthodontics	9
2-	Periodotics	9
3-	Oral and Maxillofacial Surgery	9
4-	Conservative Dentistry	9
5-	Orthodontics	9
6-	Oral Pathology	9
7-	Community Dentistry	9
8-	Paedodontics & Preventive Dentistry	9
9-	Oral Medicine & Radiology	9

(विक्रम सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- सचिव, भारतीय दन्त परिषद्, एवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड, टेम्पल लेन, नई दिल्ली को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रमाण-पत्र दर्शन डेन्टल कालेज, उदयपुर द्वारा राज्य सरकार को दिये कथन के आधार पर प्रदान किया गया है।
- 2- रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, दर्शन डेन्टल कालेज, उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक पीडीसीएच/05/53 दिनांक 30-7-2005 के संदर्भ में प्रेषित है।
- 4- रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 5(3)एम.ई. / गुप-1 / 2000

जयपुर, दिनांक 1.3 OCT 21
2006

प्रमाण पत्र

इस विभाग के समसंख्यक प्रमाण-पत्र दिनांक 28-09-2005 के अनुक्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित डेन्टल कॉलेजों में निम्न स्नातकोत्तर (एमडीएस) पाठ्यक्रम नहीं होने के कारण राज्य की जनता को दन्त विषय विशेषज्ञों की पर्याप्त विशिष्ट सेवायें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं तथा विशेषज्ञों की कमी के कारण राज्य के रोगियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। साथ ही राज्य के डेन्टल कॉलेजों से बी.डी.एस. का पाठ्यक्रम पूर्ण कर विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एमडीएस) के अध्ययन हेतु अन्य राज्यों में भी जाना पड़ रहा है। राजस्थान राज्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा जनता की आशाओं/अपेक्षाओं के अनुरूप विषय विशेषज्ञों की पर्याप्त सेवायें उपलब्ध करवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः विषय विशेषज्ञों की कमी तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अनुसंधान एवं उपचार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह प्रमाणित किया जाता है कि दर्शन डेन्टल कॉलेज, उदयपुर में निम्नांकित 1 विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एमडीएस) शुरू किये जाने की महती आवश्यकता है:-

क्र.सं.	विषय	सीटों की संख्या
1-	Oral Pathology	5

(विक्रम सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- सचिव, भारतीय दन्त परिषद्, एवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड, टेम्पल लेन, नई दिल्ली को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रमाण-पत्र दर्शन डेन्टल कॉलेज, उदयपुर द्वारा राज्य सरकार को दिये कथन के आधार पर प्रदान किया गया है।
- 2- रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, दर्शन डेन्टल कॉलेज, उदयपुर को उनके पत्रांक डीडीसीएच/एमडीएस/2006/499 दिनांक 29-09-2006 के संदर्भ में प्रेषित है।
- 4- रक्षित पत्रावली।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
MEDICAL & HEALTH (GR.1) DEPARTMENT

No. F. 18 (21) M&H/Gr. 1/92/P. 11

Jaipur, Dated 15 MAY 1999

1. The Secretary (H),
Government of India,
Ministry of Health & FW,
Nirman Bhawan,
NEW DELHI.
2. The Secretary,
Medical Council of India/
Dental Council of India,
NEW DELHI.

Sub:- Application for opening new Medical/Dental College.


Sir,

The application for grant of Essentiality Certificate/No Objection Certificate with following particulars was considered. State Government will have no objection if Government of India/Medical Council of India/Dental Council of India grants permission for the College applied for.

1.	Name of applicant	Mr. VC Jain, Vijaaya Shanti Educational Trust, Chennai.
2.	Name of the Institution	<u>Darshan Dental College & Hospital</u>
3.	Type of Institution	<u>Dental College</u>
4.	Place and district where institution is recommended	<u>Udaipur (Rajasthan)</u>
5.	Capacity (No. of Seats).	<u>100 (One hundred)</u>

This case is recommended subject to following conditions :

1. The applicant will not start the College or give admission to the prospective students till a clear permission to that effect has been issued by GOI/MCI/DCI.
2. The applicant will follow all the directives issued by State Government from time to time.
3. Admission to 85% of the seats sanctioned for the College will be based on entry test to be conducted by State Government. Only 15% seats will be filled by the Management as per instructions of MCI/DCI in this regard.


PRINCIPAL
Darshan Dental College & Hospital

